न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री आशीष मोदी आई.ए.एस.

वाद संख्या :–1/307/2015

1. केदार प्रसाद पुत्र श्री गणेश जाति मीना निवासी ग्राम मल्लाना तहसील राजगढ जिला अलवर–वादी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बनाम

1. श्रवण पुत्र बुद्धा जाति मीना
2. प्रहलाद पुत्र बुद्धा जाति मीना
3. मु0 लीलादेवी बेवा मुरली जाति मीना
4. भगवान सहाय पुत्र स्व0 श्री मुरली जाति मीना
5. श्रीराम पुत्र स्व0 श्री मुरली जाति मीना
6. काली पुत्री स्व0 श्री मुरली जाति मीना
7. उर्मिला पुत्री स्व0 श्री मुरली जाति मीना
8. हंसा पुत्री स्व0 श्री मुरली जाति मीना आयु करीब.....वर्ष नाबालिग बसरपरस्त माता खुद मु0 लीलादेवी बेवा मुरली जाति मीना समस्त निवासीयान खोहदरीबा तहसील राजगढ
9. सब रजिस्टार साहब राजगढ
10. तहसीलदार साहब (लैण्ड होल्डर) राजगढ
11. मु0 सुन्दरी बेवा बुद्धा जाति मीना निवासी खोहदरीबा तहसील राजगढ.....असल प्रतिवादीगण
12. मंहत जयरामदास चेला आशाराम दास स्वामी निवासी ग्राम घाटडा तहसील राजगढ अलवर.....तरतीबी प्रतिवादी

दावा बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री सतीश चन्द शर्मा एडवोकेट – वादी
श्री राजेन्द्र शर्मा पाटन एडवोकेट– प्रतिवादी 1,2,11

निर्णय दिनांक 19.02.2018

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादी द्वारा इस न्यायालय में दावा तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश कर निवेदन किया कि हाल आराजी खसरा नं. 588/0.20 है0 गै0मु0 आबादी व बंजड वाके ग्राम खोहदरीबा तहसील राजगढ मे स्थित है। जिस आराजी से 0.15 है0 भूमि गै0मु0 आबादी है, तथा 0.05 बंजड है। जिस आराजी मे से गै0मु0 आबादी की 0.15 है0 भूमि मे से 1000 वर्ग मीटर भूमि यानि 0.10 है0 तरतीबी प्रतिवादी संख्या 12 खातेदार है, तथा शेष 0.05 है0 गै0मु0 आबादी की भूमि व 0.05 बंजड की भूमि मे से 1/3 हिस्सा का असल प्रतिवादी 1 व 2 स्वंय व प्रतिवादी संख्या 11 व असल प्रतिवादी 3 ला0 8 बैहसियत वारिस मृतक मुरली खातेदार है। तथा बंजड भूमि 0.05 है का 2/3 हिस्से का खातेदार वादी है। उक्त आराजी का वादी,असल प्रतिवादी,तरतीबी प्रतिवादी के मध्य पूर्व खातेदारान के समय से ही बहामी तौर पर बटी हुई है, जिसमे बाहमी बटवारा के अनुसार तरतीबी प्रतिवादी मंहत जयरामदास का हिस्सा तर्फ दक्षिण वाला है, तथा उसके लगता हुआ तर्फ उत्तर का भाग यानि मध्य भाग वादी का है, तथा तर्फ उत्त्र का भाग असल प्रतिवादीगण का है। इसी बहामी बटवारे के अनुसार वादी,प्रतिवादी, तरतीबी प्रतिवादी भूमि पर काबिज होकर उपयोग करते रहे है, तथा तरतीबी प्रतिवादी मंहत जयरामदास ने अपने हिस्से की भूमि की सुरक्षा के लिये पुख्ता दीवार भी बना रखी है। उक्त आराजी

का वादी, प्रतिवादी,तरतीबी प्रतिवादी अपने–अपने हिस्से पर काबिज होकर उपयोग करते है,लेकिन आराजी का राजस्व रिर्काड मे बटवारा नही होने के कारण आराजी राजस्व रिर्काड मे शामलात मे दर्ज है।

यह है कि असल प्रतिवादीगण के एक परिवार के व्यक्ति है, और आराजी राजस्व रिर्काड मे शामलात मे दर्ज होने के कारण वादी को उसके हिस्से की आराजी से बेदखल कर कब्जा करना चाहता है, तथा झगडा–फसाद करते है, तथा आराजी को दीगर जगह बेचान भी करना चाहते है। यदि उनके द्वारा ऐसा किया गया तो वादी को नापूर्ति होने वाली क्षति होने की पूर्ण संभावना है।

अंत मे दावा वादी तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा को डिक्री करने का निवेदन किया कि हाल आराजी खसरा नं. 588/0.20 है0 वाके ग्राम खोहदरीबा तहसील राजगढ को कुरेजात बनाया जाकर पूर्व मे हुए बहामी बटवारे के अनुसार आराजी को तकसीम की जावे तथा खाता पृथक–पृथक किया जावे, व असल प्रतिवादीगण को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वो आराजी को दीगर जगह मुन्तकिल नही करें, तथा वादी को उसके हिस्से की आराजी से बेदखल नही करें, तथा उपयोग व उपभोग मे रूकावट ना करें।

वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण 1 ला0 8 व तरतीबी प्रतिवादी बाद सूचना तामिल चस्पांगी द्वारा होने के उपरान्त भी उपस्थित न्यायालय नही होने कि स्थिति मे इनके विरूद्ध दिनांक 24.09.2009 को एकतर्फा कार्यवाही अमल मे लाई गयी, इसी दिनांक को प्रार्थना पत्र आर्डर 01 रूल 10 व आर्डर 06 रूल 17 सी.पी.सी का प्रार्थना पत्र पेश हुआ, जो बाद सुनवाई स्वीकार किया गया।

इसके उपरान्त दिनांक 06.01.2010 को प्रार्थना पत्र खुलवाये जाने एकतर्फा कार्यवाही असल प्रतिवादी 1, 2, 11 की और से मय वकालतनामा श्री राजेन्द्र पाटन एडवोकेट द्वारा पेश किया,जो दिनांक 05. 04.2010 को बाद सुनवाई स्वीकार किया गया। दिनांक 26.10.2010 को प्रतिवादी संख्या 1, 2 की और से जवाब दावा पेश हुआ। इनके द्वारा जवाब मे वाद वादी तथ्यो को अस्वीकार करते हुए उल्लेख किया कि वादी ने उक्त वाद बिना किसी वजह के पेश किया है, जो वाद तरतीबी प्रतिवादी संख्या 12 मंहत जयरामदास से साज बाज होकर और विविदित आराजी खसरा संख्या 588 मे तर्फ दक्षिण हिस्से पर तरतीबी प्रतिवादी संख्या 12 का कब्जा नही होने के बावजुद उसका कब्जा व हिस्सा होनो बताकर दावा किया है जो गलत है। विवादित आराजी खसरा संख्या 588/0.20 है0 वाके खोहदरीबा का 1000 वर्ग मीटर यानि 10 एयर रकबा के खातेदार काश्तकार मृतक किशनलाल के वारिसान कौशल्या, भागचन्द,राजेन्द्र, व पुत्रीया आदि है,जिनसे तरतीबी प्रतिवादी ने आराजी का 10 एयर रकबा जर्ये रजिस्टर्ड बयनामा खरीद किया है। ये सभी बयकर्ता मीणा जाति के है और अनुसूचित जनजाति के सदस्य है, जिनकी आराजी कोई उच्च वर्ग यानि स्वर्ण जाति का व्यक्ति अन्तर्गत धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत नही खरीद सकता और खातेदारी भी नही प्राप्त कर सकता। इस कारण तरतीबी प्रतिवादी नं0 12 का बयनामा प्रारम्भा से ही शुन्य है, तथा इस बयनामे के आधार दर्ज इन्तकाल संख्या 663 निरस्त योग्य है। शेष तथ्य वाद वादी काबिज स्वीकार योग्य नही है। दावा खारिज करने का निवेदन किया गया।

इसके उपरान्त वकील प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र और आर्डर 07 रूल 11 सी.पी.सी का पेश किया गया जिससे निवेदन किया की आराजी विादित ख0नं0 588/0.20 हैक0 जो आराजी बंजड व आबादी की भूमि है मौके पर रिहायस बनी हुई है। इसलिये कानूनन न्यायालय हाजा में वाद चलने योग्य नही है। बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र तथ्यों को दोहराया गया। जबकि अप्रार्थी वकील का कथन रहा की आराजी रिकार्ड व मौके पर सहखातेदारी की आराजी है जिसका विभाजन होना है। आराजी मौके पर खाली है। इसके उपरान्त पत्रावली के अवलोकन से व पत्रावली में उपलब्ध जमाबंदी सम्वत् 2065–67 खाता संख्या 53 वाके ग्राम खोहदरीबा के अंकित इन्द्राज के अनुसार आराजी विवादित पक्षकारान की सहखातेदारी की आराजी है। जिसमें 0.15 हैक0 किस्म आवादी व 0.05 हैक0 बजंड दर्ज है। वाद–वादी तकसीम आराजी का होने के कारण उक्त वाद को सुनने का क्षेत्राधिकार होने के कारण प्रार्थना पत्र प्रार्थी आर्डर 7 रूल्स 11 सी0पी0सी0 का दिनांक 01.04.2016 को अस्वीकार किया गया।

प्रकरण में न्याय आपके द्वार अभियान 2017 के दौरान कुरेजात रिर्पोट तैयार करवाई गई, जो उपतहसीलदार टहला, पटवारी हल्का खोह व भू–अभिलेख निरीक्षक खोह द्वारा दिनांक 12.06.2017 को तैयार कर पेश की गई। उक्त कुरेजात रिर्पोट पर दिनांक 06.12.2017 को प्रतिवादी संख्या 01 श्रवण व उसके वकील द्वारा ऐतराज पेश किया। उक्त ऐतराज पर वादी वकील द्वारा जवाब पेश किया गया। बहस वकुलाय ऐतराज कुरेजात पर सुनी गई जैसा कि वकील प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा प्रार्थना ऐतराज कुरेजात तथ्यों को दोहराते हुए उल्लेख किया कि जो कुरेजात रिर्पोट पेश कि है जिसमे खसरा नं0 588/01 रकबा 333.33 वर्ग मीटर वादी केदार को दी है तथा खसरा नं0 588 मे सें 1000 वर्ग मीटर भूमि प्रतिवादी जयरामदास को तथा 588/02 रकबा 666.67 वर्गमीटर असल प्रतिवादीगण 01 से 08 व 11 की दी है। उक्त रिर्पोट मे दी गई भूमि की न तो साईड दर्ज की है, तथा नक्शे मे भी स्पष्ट उल्लेख नही किया है। उक्त भूमि बंजड दर्ज है जिसे गै0मु0 आबादी को बिना किस्म परिवर्तन कराये आबादी दर्ज कर दी गई जो नियम विरूद्ध है तथा प्रतिवादी जयरामदास को किस आधार आबादी भूमि दी गई है। जो कुरेजात रिर्पोट तैयार की गई है वह प्रतिवादीगण/प्रार्थीगण की गैरमोजुदगी मे तैयार की गई है जिससे प्रार्थीगण के हकूक जायल होते है। अंत मे प्रार्थना पत्र स्वीकार कर पुनः कुरेजात रिर्पोट मंगवाये जाने का निवेदन किया गया।

बहस मे वकील वादी/अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब ऐतराज कुरेजात के तथ्यो को दोहराते हुए उल्लेख किया कि प्रार्थी/प्रतिवादी 01 द्वारा जो ऐतराज कुरेजात पेश किया है वह गलत तथ्यों पर पेश किया है। पटवारी हल्का व तहसीलदार द्वारा रिर्पोट मे आराजी के नक्शा मे रंग सुर्ख से साईड दर्शाई गई तथा दोनो पक्षो की अदम मोजुदगी मे बिना किसी भेदभाव के कुरेजात रिर्पोट तैयार की गई है। प्रतिवादी/प्रार्थी द्वारा गलत तथ्यो पर ऐतराज कुरेजात का प्रार्थना पत्र मुकदमा को देरीना करने के कारण पेश किया है जो काबिल स्वीकार योग्य नही है। अंत मे प्रार्थना पत्र ऐतराज कुरेजात का अस्वीकार करने व दावा डिक्री करने का निवेदन किया गया।

मैने बहस वकुलाय ऐतराज कुरेजात पर सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध कुरेजात रिपोर्ट जो उप तहसीलदार टहला द्वारा दिनांक 12.06.2017 को पेंश की है का भी

अवलोकन किया गया। मुताबिक जमाबंदी सम्वत् 2069–72 खाता संख्या 145 के अंकित इन्द्राज से यह तथ्य साबित है कि आराजी विवादित ख0नं0 588/0.20 हैक0 वाके ग्राम खोह पक्षकारान की सहखातेदारी की आराजी है जो कुरेजात रिपोर्ट के साथ नक्शा उप तहसीलदार टहला द्वारा पेंश किया है। वह नक्शा स्पष्ट है। तथा नक्शे में स्पष्ट हिस्सा भी दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त प्रार्थना पत्र आर्डर 7 रूल्स 11 जिसका निर्णय दिनांक 01.04.2016 को हुआ है, जिसमें प्रार्थना पत्र आर्डर 7 रूल्स 11 के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किया जाकर प्रकरण का श्रवणाधिकार क्षेत्र इस न्यायालय का माना गया है। धारा 53 के बटवारे में जमाबंदी के हिस्से अनुसार हिस्सा दिया जाता है। पक्षकारान को सूचना दिया जाना कानूनी आवश्यक नही है। तथा कुरेजात रिपोर्ट पर सहमति के पक्षकारान के हस्ताक्षर होना भी कानूनी आवश्यक नही है। इस प्रकार प्रतिवादी श्रवण द्वारा कुरेजात रिपोर्ट दिनांक 12.06.2017 के संबंध में प्रस्तुत एतराज काबिल स्वीकार योग्य नही है। तथा दावा वादी तकसीम आराजी मुताबिक रिपोर्ट कुरेजात उप तहसीलदार टहला दिनांक 12.06.2017 के अनुसार काबिल डिक्री योग्य पाया जाता है। अतः

आदेश है कि

दावा वादी तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा हाल आराजी ख0नं0 588/0.20 हैक0 वाके ग्राम खोह तहसील राजगढ मुताबिक रिपोर्ट उप तहसीलदार टहला दिनांक 12.06.2017 के अनुसार डिक्री किया जाता है। पक्षकारान में आराजी का विभाजन निम्न प्रकार से किया जाता है।

क्र. सं.	नाम खातेदार	नाम ग्राम	खसरा नं0	रकबा
1	केदार प्रसाद पुत्र गणेश जाति मीना साकिम मल्लाना खातेदार	खोह	588/1	333.33 वर्ग मीटर बंजड
2	जयरामदास पुत्र आशाराम दास स्वामी साकिन घाटडा खातेदार	खोह	588	1000 वर्ग मीटर गै0मु0 आबादी
3	श्रवण, प्रहलाद पि0 बुद्वा, सुंदरी बेवा बुद्वा, लीला बेवा मुरली, भगवान सहाय, श्रीराम, ना.बा. पि0 मुरली, काली, हन्सो, उर्मिला, ना.बा. पुत्रियान मुरली बसरपरस्त माता लिल्या खुद जाति मीना साकिन देह खातेदार	खोह	588/2	666.67 वर्ग मीटर गै0मु0 आाबदी 500 वर्गमीटर 166.67 वर्ग मीटर बंजड

उक्तानुसार पक्षकारान अपने–अपने हिस्से की आराजी को अपने नाम पृथक–पृथक खातेदारी में दर्ज कराने के अधिकारी है। साथ ही पक्षकारान को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का आदेश दिये जाते है कि वो अपने–अपने हिस्से के अतिरिक्त एक–दूसरे की आराजी में कार्यकाश्त व उपयोग उपभोग किसी प्रकार की दखलनदाजी नही करेगें। नक्शा कुरेजात निर्णय का हिस्सा रहेगा। इसी अनुसार पर्चा डिक्री तैयार की जावें।

निर्णय आज दिनांक 19.02.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशीष मोदी, आई.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रैणी (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री प्रताप सिंह आई.ए.एस.

वाद संख्या	प्रवेश तिथि	किस्म वाद	निर्णय तिथि
1/307/15	29.04.2015	दावा तकसीम	19.02.2018

1. केदार प्रसाद पुत्र श्री गणेश जाति मीना निवासी ग्राम मल्लाना तहसील राजगढ जिला अलवर–वादी

बनाम

1. श्रवण पुत्र बुद्धा जाति मीना
2. प्रहलाद पुत्र बुद्धा जाति मीना
3. मु0 लीलादेवी बेवा मुरली जाति मीना
4. भगवान सहाय पुत्र स्व0 श्री मुरली जाति मीना
5. श्रीराम पुत्र स्व0 श्री मुरली जाति मीना
6. काली पुत्री स्व0 श्री मुरली जाति मीना
7. उर्मिला पुत्री स्व0 श्री मुरली जाति मीना
8. हंसा पुत्री स्व0 श्री मुरली जाति मीना आयु करीब.....वर्ष नाबालिग बसरपरस्त माता खुद मु0 लीलादेवी बेवा मुरली जाति मीना समस्त निवासीयान खोहदरीबा तहसील राजगढ
9. सब रजिस्टार साहब राजगढ
10. तहसीलदार साहब (लैण्ड होल्डर) राजगढ
11. मु0 सुन्दरी बेवा बुद्धा जाति मीना निवासी खोहदरीबा तहसील राजगढ.....असल प्रतिवादीगण
12. मंहत जयरामदास चेला आशाराम दास स्वामी निवासी ग्राम घाटडा तहसील राजगढ अलवर.....तरतीबी प्रतिवादी

दावा बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री सतीश चन्द शर्मा एडवोकेट – वादी
श्री राजेन्द्र शर्मा पाटन एडवोकेट– प्रतिवादी 1,2,11

पर्चा डिक्री दिनांक 19.02.2018

दावा वादी तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा हाल आराजी ख0नं0 588/0.20 हैक0 वाके ग्राम खोह तहसील राजगढ मुताबिक रिपोर्ट उप तहसीलदार टहला दिनांक 12.06.2017 के अनुसार डिक्री किया जाता है। पक्षकारान में आराजी का विभाजन निम्न प्रकार से किया जाता है।

क्र. सं.	नाम खातेदार	नाम ग्राम	खसरा नं0	रकबा
1	केदार प्रसाद पुत्र गणेश जाति मीना साकिम मल्लाना खातेदार	खोह	588/1	333.33 वर्ग मीटर बंजड
2	जयरामदास पुत्र आशाराम दास स्वामी साकिन घाटडा खातेदार	खोह	588	1000 वर्ग मीटर गै0मु0 आबादी
3	श्रवण, प्रहलाद पि0 बुद्वा, सुंदरी बेवा बुद्वा, लीला बेवा मुरली, भगवान सहाय, श्रीराम, ना.बा. पि0 मुरली,	खोह	588/2	666.67 वर्ग मीटर गै0मु0 आाबदी 500 वर्गमीटर 166.67

	काली, हन्सो, उर्मिला, ना.बा. पुत्रियान मुरली बसरपरस्त माता लिल्या खुद जाति मीना साकिन देह खातेदार			वर्ग मीटर बंजड

उक्तानुसार पक्षकारान अपने–अपने हिस्से की आराजी को अपने नाम पृथक–पृथक खातेदारी में दर्ज कराने के अधिकारी है। साथ ही पक्षकारान को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का आदेश दिये जाते है कि वो अपने–अपने हिस्से के अतिरिक्त एक–दूसरे की आराजी में कार्यकाश्त व उपयोग उपभोग किसी प्रकार की दखलनदाजी नही करेगें। नक्शा कुरेजात निर्णय का हिस्सा रहेगा।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 19.02.2018 को तैयार की गई।

(आशीष मोदी, आई.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)